मॉड्यूल 7: सामाजिक व्यवहार परिवर्तन–बाल संरक्षण

सत्र 3: किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत बच्चों और परिवारों को परामर्श देना

अवधि: 4:05 मिनट

सत्र 3, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत 'बच्चों तथा परिवारों को परामर्श देना' में आप सभी का स्वागत है।

यह तीन भागों में विभाजित है:

3.1: परामर्श –विषय परिचय

3.2: परामर्श के मूल सिद्धान्त

3.3: परामर्श के कौशल तथा तकनीक

सत्र 3.1: परामर्श –विषय परिचय

सत्र के उद्देश्य

सत्र के अंत तक आप बता पाएंगे कि:

- परामर्श क्या है
- परामर्श के लक्ष्य क्या हैं
- परामर्श का उद्देष्य क्या है
- परामर्श के मूल सिद्धान्त क्या हैं

परामर्श का परिचय और परामर्श के लक्ष्य

आप परामर्श से परिचित हैं किन्तु क्या आप बता सकते हैं कि परामर्श का क्या अर्थ है और इसके लक्ष्य क्या हैं? आईए इसकी खोज करें।

परामर्श एक प्रक्रिया है जिससे बच्चों और उनके परिवार को उन परिस्थितियों के लिए ज़िम्मेदार कारकों एवं मुद्दों की पहचान करने में मदद मिलती है, जिसके चलते बच्चा देखरेख और सुरक्षा का ज़रूरतमंद हो गया है या कानून के उल्लंघन की स्थिति में आ पहुंचा है।

परामर्श से बच्चे और उसके परिवार को निम्नलिखित बातों में भी सहायता मिलती है:

- अपनी क्षमताओं को पहचानना।
- ऐसे संसाधनों को पहचानना जो उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद करेंगे।
- मौजूदा विकल्पों की खोज करना और सही फैसले लेना।

आईए अब परामर्श के महत्व और परामर्शदाता द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में जानें

परामर्श का महत्व

- कुछ परिस्थितियों में परामर्श बच्चों को बार–बार 'देखरेख और सुरक्षा के ज़रूरतमंद' (सी.एन.सी.पी.) या 'कानून के उल्लंघन करने वाले बच्चे' (सी.सी.एल.) की श्रेणी में आने से बचने में भी महत्वपूर्ण मदद करता है।
- परामर्श बच्चों और उनके परिजनों को अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोजने में मदद करने का एक तरीका है।

परामर्शदाता की भूमिका

- यद्यपि बच्चों तथा परिवारों को संरक्षण के मुद्दों को सुलझाने हेतु सहायता करने के संबंध में परामर्शदाता की भूमिका विषिष्ट है, किन्तु कभी भी परामर्शदाता या कोई अन्य व्यक्ति बच्चों या उसके परिजनों के सम्पर्क में है, वह अपने विचार या वि विश्वास वासों को उनपर थोपने की कोषिष न करें।
- परामर्श मनोविज्ञान की एक विषेष शाखा है फिर भी कुछ लोगों को जो देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के सम्पर्क में रहते हैं परामर्श देने की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए प्रषिक्षित किया जाना चाहिए। ऐसे परामर्शदाताओं को समय–समय पर हस्तक्षेप करने की आवष्यकता होगी, अगर बच्चे को तुरन्त मार्गदर्षन तथा मदद की जरूरत है या बच्चा जब किसी गैरकानूनी या खतरनाक या हानिकारक व्यवहार या स्थिति में है।
- इस तरह के परामर्शदाताओं में परिवीक्षा अधिकारी (पीओ), पैनल के वकील, बाल कल्याण समिति के सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया जा सकता है।

परामर्श के लक्ष्य

किसी भी परामर्श प्रक्रिया के लक्ष्य निम्नवत् हैं:

- बच्चे और परिजनों में अपनी समस्याओं का समाधान करने का कौशल प्रदान करना और चिन्हित समस्या को सुलझाने में मदद करना।
- बच्चे और परिजनों को भावनात्मक रूप से कठिन परिस्थिति का सामना करने हेतु सामर्थ्य निर्माण करना और उनका सामना करने का कौशल प्रदान करना।
- बच्चे और उसके परिजनों में एक सकारात्मक
  दृष्टिकोण का विकास करने का कौशल प्रदान करने और मौजूदा परिस्थिति का शांति तथा सौहार्द के साथ सामना करने में मदद करना, जो कि जल्दी बदलने वाली नहीं है (जैसे कि माता–पिता की मृत्यु, कम आय, इत्यादि)।